The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 4 | April 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं विकास योजनाएं: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अंकुर पाण्डेय

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, एस. डी. (पी.जी) कालेज, गाजियाबाद,

ई मेल- ankurpandey1192@gmail.com

प्रो. (डॉ.) रीना शर्मा

शोध निर्देशिका, समाजशास्त्र विभाग, एस. डी. (पी.जी) कालेज, गाजियाबाद,

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.20135545

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 25-04-2026

Published: 10-05-2026

Keywords:

आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, योजनाएं व कार्यक्रम, आर्ट ऑफ लिविंग

ABSTRACT

प्रस्तुत सारांश में "महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं विकास योजनाएं" से संबंधित विभिन्न आर्थिक मुद्दें, समस्याएं, वर्तमान समय में महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं महिलाओं के लिए चलाई गई सरकारी एवं निजी विकास योजनाओं को द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है। सामान्यत: महिलाओ के आर्थिक सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं को संसाधनों, परिसंपत्तियों, आय और अपने स्वयं के समय के साथ-साथ जोखिम या कठिनाईयों को नियंत्रित करने और उनके प्रबंधन और जोखिम को प्रबंधित करने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की क्षमता से लाभ उठाने का अधिकार है। महिलाओं को समाज में उचित व सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आरम्भ किए है जो अलग पृष्ठभूमि की महिलाओं के आत्मसम्मान, आंतरिक शक्ति और रचनात्मकता को पोषण करने के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। इस तरह से महिलाएं आज अपने कौशल, आत्मविश्वास और शिष्टता के आधार पर दुनिया की किसी भी चुनौती को संभालने में सक्षम हैं। वें आगे आ रहीं हैं और अपने परिवारों एवं अन्य महिलाओं और समाज के लिए शांति और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में स्थापित कर रहीं है। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुल

जनसंख्या का लगभग आधा भाग होने के कारण महिला और विकास का आंतरिक सम्बन्ध है। कोई भी समाज तब तक विकास नहीं कर सकता, जब तक उसका आधा भाग शोषित अथवा अविकसित है। अर्थात, महिलाओं की क्षमता का पूर्ण विकास किए बिना किसी भी आर्थिक व्यवस्था का विकास सम्भव नहीं है और कोई भी राष्ट्रीय विकास तब तक अपूर्ण है, जब तक उसमें महिलाओं का विकास और विकास का लाभ महिलाओं तक पहुँचाने की व्यवस्था सम्मिलित नहीं है। समकालीन युग में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं और कौशल का विकास करने हेतु विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहें हैं। वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाए जाने के पश्चात सरकार ने महिला विकास हेतु विशेष प्रयास किए। ग्रामीण महिलाओं के विकास व उत्थान हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, व रोजगार हेतु अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों को मूर्त रुप प्रदान किया है। (प्रसाद, चेतलाल:2023)

प्रस्तावना-:

"जब हैं नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहें बेचारी"

"नहीं सहना है अब किसी का अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार"

सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व संभावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं। महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। वर्तमान परिदृश्य समाज में देश की करोड़ो महिलाएं न केवल अपने परिवार की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रहीं हैं। **स्टैंड अप इंडिया** (महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की योजना) के तहत 80 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के तहत 70 प्रतिशत महिलाओं को ऋण दिया गया हैं। भारत की महिला कार्य भागीदारी दर वर्ष 2021 में लगभग 25 प्रतिशत थी, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम थी। लेकिन वर्तमान समय में यह 38.6 प्रतिशत है। सर्वेक्षण बताता है कि महिला कार्यबल की हिस्सेदारी के मामले में, 131 देशों की सूची में भारत 120वें स्थान पर है। वहीं वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वे (पीएलएफएस) के मुताबिक 2021-22 में विनिर्माण उद्योग में कामकाजी महिलाओं का अनुमानित वितरण 11.2 फीसदी पाया गया है। कंसल्टेंसी फर्म **मैकिंजे** की एक रिपोर्ट तो

यहां तक दावा करती है कि "अगर देश में महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म हो जाए तो वर्ष 2025 तक देश की जीडीपी में 46 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त इजाफे के साथ विकास दर 1.4 प्रतिशत अतिरिक्त उछाल ले सकती हैं"। इस योगदान के लिए कम से कम 6.8 करोड़ और कामकाजी महिलाओं की जरूरत पड़ सकती है। तब कामकाजी लोगों में 41 फीसदी महिलाएं हो सकती है। जिससे देश के विकास में अत्यंत वृद्धि होगी। (दीप,आकाश:2024)

आर्थिक दृष्टिकोण से वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति उच्च है। वे अब केवल पति पर ही आश्रित नहीं हैं अपितु वे आज स्वयं भी जीविकोपार्जन कर रहीं हैं। वर्तमान भारत में स्त्रियां प्रत्येक व्यवसाय करती हुई देखी जा सकती हैं। वे वकील हैं, प्रोफेसर हैं, अकाउंटेंट हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है, डाक्टर हैं, नर्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं, फैक्ट्री में मैनेजर हैं, जज हैं और पायलट भी हैं। आज भारत में विभिन्न मुख्य व्यवसायों में नौकरी करने वाली स्त्रियों की संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है। इतना ही नहीं वर्ष 1956 के हिन्दु उत्तराधिकार नियम के द्वारा हिन्दु स्त्रियों को माता, पत्नी और पुत्री रूप में पुरुषों के समान ही सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि निश्चय ही स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

वर्तमान फोर्ब्स मैगजीन में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में चार भारतीय महिलाओं का नाम शामिल किया गया है, जिसमें लगातार पांचवीं बार भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम शामिल है यह भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शा और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन सोम मंडल कल कारपोरेशन के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा शामिल है अगर बात की जाए विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला की तो इस सूची में पहला नाम यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन है तथा भारतीय मूल के अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर है। यह लिस्ट आर्थिक राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभाव क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। हाल ही में भारत ने महिला असमानता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महिला क्रिकेटर को भी पुरुष क्रिकेटरों की भांति समान वेतन देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, महिला अधिकारों की उपेक्षा करना संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हुए उनके अधिकारों के प्रति ठोस कदम उठाएं जाए केवल सुझाव न दिए जाएं।(खान,ए आर:2024,न्यूज पेपर)

लिंग विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की जाँच के अनुसार, ये नौकरियाँ जो विशेषकर महिलाओं का शोषण कर रहीं हैं, संगठन से पृथक हैं तथा इनमें उन्नति के अवसर बहुत कम हैं। हाल ही में अनेक गैर सरकारी संगठनों द्वारा वैश्वीकरण

विरोधी प्रदर्शन किए गए, जिनका मानना है कि सामाजिक असमानता के लिए वैश्वीकरण (भूमंडलीकरण) प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।

महिलाओं ने वैश्वीकरण का अनेक प्रकार से अनुभव किया है। एक शिक्षित तथा व्यावसायिक रूप से योग्य महिला के लिए इसने नए अवसरों के द्वार खुले रखे हैं, परंतु एक अकुशल महिला के लिए इसका अर्थ है बढ़ती प्रतियोगिता के दौर में आजीविका का अभाव। वैश्वीकरण वर्तमान असमानता को बढ़ाने में तथा एक गरीब महिला जो की एक असंगठित क्षेत्र में शोषणकारी परिस्थितियों एवं अपने अधिकारों व सामाजिक संरक्षण के अभाव में कार्य करती है, उसकी निस्सहाय अवस्था को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ पिछले दो दशकों से अनेक सुस्थापित लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं के राजनीतिक एजेंड़ो में सुरक्षात्मक उपायों का स्थान सामाजिक मुद्दों ने ले लिया है। महिला अधिकारों, सशक्तिकरण, नृजातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों, दुर्बल वर्गों तथा पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर वाद विवाद चलता रहा है। इस नए वैश्विक युग में महिलाओं के आन्दोलनों को भी विशाल लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार तथा मूलभूत आर्थिक अधिकारों जैसे मुद्दों के साथ जोड़ा गया है।(अरिहंत:2019)

विकास की विशिष्ट योजनाएं एवं रणनीतियां

महिलाओं तथा बच्चों के जीवन के सम्पूर्ण विकास एवं जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं ने उनकी स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परन्तु अभी भी जनसंख्या का उपेक्षित एक बड़ा भाग इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सका है। इस दिशा में अनेक गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि अनेक लोग इन योजनाओं की उपेक्षा करते हैं। इसके अलावा गैर सरकारी संस्थाओं पर आर्थिक दबाव भी है। तथापि, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तीन स्वायत्त संगठनों की स्थापना की गई है तथा अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से गैर सरकारी संगठन वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

तीन स्वायत्त संगठन जिनके माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं, निम्नलिखित है__

1. जन सहयोग एवं बाल विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान
2. राष्ट्रीय महिला कोष
3. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड। इन स्वायत्त संगठनों के माध्यम से **महिला एवं बाल विकास विभाग** द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं__

- प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम सहायता।

- महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण व उत्पादन इकाइयों की स्थापना।
- कामकाजी महिलाओं के लिए 'डे केयर सेंटर' के साथ-साथ हॉस्टलों का निर्माण एवं विस्तार।
- लड़कियों एवं महिलाओं के लिए अस्थाई निवास ग्रह।
- महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के निवारण के लिए शिक्षण कार्य।
- बालिका समृद्धि योजना।
- महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य अनुदान सहायता।
- महिला एवं बाल विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को संगठनात्मक सहायता।
- अनुसंधान एवं प्रकाशन के लिए अनुदान सहायता।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड** महिलाओं के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करना है__

- जागरूकता निर्माण कार्यक्रम
- महिलाओं के लिए शिक्षा का सघन पाठ्यक्रम
- सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम
- परिवार सलाहकार केंद्र
- कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल
- कामकाजी या बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच/पे- केयर सेंटर हाल में भारत सरकार ने महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं एवं नीतियां लागू की हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लाभ

- महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा में समान रूप से भाग ले सकें और लाभ उठा सकें; बाजारों तक पहुंचे और संसाधनों, अपने समय,

जीवन और शरीर पर नियंत्रण रखना; और घरेलू से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थानों तक सभी स्तरों पर आर्थिक निर्णय लेने में सजग, एजेंसी और सार्थक भागीदारी में वृद्धि हुई है।

● अर्थव्यवस्था में महिलाओं के आर्थिक न्याय और अधिकारों को बढ़ावा देना और काम की दुनिया में लैंगिक अंतर को कम करना सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है।

● जब अधिक महिलाएं काम करती है तो अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से साझा समृद्धि के लिए आर्थिक विविधीकरण और आय सामान्य बढ़ती है यह अनुमान लगाया गया है कि लिंग अंतर को कम करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सात ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़त मिल सकती है।

● महिलाओं और लड़कियों की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक समावेशी, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। शिक्षा, अपस्किलिंग और री-स्कलिंग विशेष रूप से नौकरियों को प्रभावित करने वाले तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और कल्याण के साथ-साथ उनकी आय सृजन के अवसरों और औपचारिक श्रम बाजार में भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है।

● महिलाओं की आर्थिक समानता व्यवसाय के लिए अच्छी है। महिलाओं के लिए रोजगार और नेतृत्व के अवसर बढ़ने से कंपनी को काफी फायदा होता है, जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता और विकास में वृद्धि देखी गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि वरिष्ठ प्रबंधन कार्यों में तीन या अधिक महिलाओं वाली कंपनियां संगठनात्मक प्रदर्शन के सभी आयामों में स्कोर करती है।

महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित प्रमुख योजनाएँ

राष्ट्रीय पोषण मिशन: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 08 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष दिसंबर में वर्ष 2020 तक ₹ 9046.17 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी थी और सरकार का उद्देश्य मिशन का लाभ 10 करोड लोगों तक पहुंचना है। भारत सरकार ने देश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण को कम करने के लिए पहले से ही कई योजनाएँ लागू की हुई हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत (हरियाणा) में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की। इस योजना को पहले चरण में देश के 100 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके लिए ₹100 करोड़ का आरंभिक बजट रखा गया है। फिल्म अभिनेत्री 'माधुरी दीक्षित' को इस योजना का 'ब्राण्ड एंबेसडर' बनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत लड़कों के समान लड़कियों की जन्म दर प्राप्ति करने वाले

गाँवों को ₹1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत 'सुकन्या समृद्धि योजना' की भी शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार ने अभियान के अंतर्गत 'कन्या कोष योजना' आरंभ करने की घोषणा की है। कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों में पूर्व से चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्न है__

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (बिहार)
- सुकन्या योजना (महाराष्ट्र)
- नंदा देवी कन्या योजना (उत्तराखंड)
- कन्या विद्या धन योजना (उत्तर प्रदेश)

सुकन्या समृद्धि योजना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को बालिकाओं के लिए लघु बचत स्कीम के अंतर्गत 'सुकन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत पानीपत (हरियाणा) में की। यह योजना 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का भाग है। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जाना है। सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं निम्न है__

इस योजना के अंतर्गत जमा राशि पर 9.1% वार्षिक ब्याज प्रदान किया जाएगा तथा जमा राशि पर आयकर की छूट भी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बालिका शिशु का बैंक खाता 10 वर्ष की आयु तक भी खोला जा सकेगा। यह बैंक खाता न्यूनतम ₹1000 से खोला जा सकेगा। ₹1.5 लाख की अधिकतम राशि एक वित्त वर्ष में जमा की जा सकेगी। खाता किसी भी वाणिज्यिक बैंक तथा डाकघर की शाखाओं में खोला जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत खोले गए खाते 21 वर्ष तक चालू रखें जा सकेंगे, वैसे बालिका अपनी 18 वर्ष की आयु के बाद 50% तक राशि निकालने को स्वतंत्र होगी।

नेशनल मिशन एमपावरमैन्ट ऑफ वूमेन: महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षक सशक्तिकरण से संबंधित यह मिशन वर्ष 2010 में आरंभ हुआ।

आशा: आशा (Accredited social health activists) वस्तुतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यकर्ता को कहा जाता है। **नेशनल रूरल हेल्थ मिशन** के अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह कार्यकर्ता (आशा) उसी गांव को महिला होनी चाहिए, जिसने कम से कम कक्षा आठवीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की हो। आशा समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं

उपलब्ध स्वास्थ सुविधाओं के बेहतर प्रयोग एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती हैं। यह मिशन वर्ष 2005 से शुरू हुआ।

घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम: व्यापक रूप से व्याप्त घरेलू हिंसा की प्रक्रिया से निपटने के लिए संसद में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के अनुसार संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को हिंसा से संरक्षण के लिए आश्रय स्थल, स्वास्थ्य सेवा तथा कानूनी सहायता प्रदान करने में सहायता करेगी।

महिलाओं के लिए रात्रि में कार्य की व्यवस्था: 29 मार्च, 2005 को संघीय सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि कुछ उद्योगों में महिलाओं की प्रतिष्ठा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात्रि में भी कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए तथा उन्हें समान अवसरों के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं व्यवसायिक सुरक्षा भी प्रदान की जाए।

जननी सुरक्षा योजना: आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति ने जननी सुरक्षा योजना अर्थात प्रसूति लाभ योजना पर सहमति जताई। इस योजना ने 30 मार्च, 2005 को राष्ट्रीय प्रसूति लाभ का स्थान ले लिया है। इस योजना का उद्देश्य मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान करना तथा प्रसवपूर्ण देखभाल को बढ़ावा, संस्थात्मक प्रसव पोस्ट मार्टर केयर के लिए प्रावधान करना है जो नए केवल मां के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से प्रभाव डालता है।

महिलाओ तथा बच्चों के लिए कृत्य बल: महिलाओं के विकास के संबंध में सरकार ने अगस्त, 2000 में **श्री के सी पंत** की अध्यक्षता में महिलाओं तथा बच्चों के लिए कृत्य बल का निर्माण किया। इसकी अप्रैल, 2002 में दी गई रिपोर्ट में महिला तथा बाल विकास विभाग के लिए एक अन्तर्नुसचिवीय स्थायी समिति के गठन का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों ने आवश्यक कार्यवाही की पहल की है।

स्वाधार योजना: महिलाओं को विचारों, कार्यों में स्वतंत्र बनाने एवं उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक कार्य/निर्णय का नियंत्रण शुरू करने के योग्य बनाने हेतु वर्ष 2001-02 में यह कार्यक्रम चलाया गया। इस योजना के अंतर्गत वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी भी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

73वाँ तथा 74वाँ संवैधानिक संशोधन: आधारभूत स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए 73वें एवं 74वें संविधानिक संशोधनों 1993 के द्वारा उन्हें गरीबी के कुचक्र से निकालने का प्रयास किया गया है। ये

अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की भाँति ग्रामीण स्तर पर भी निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं।

महिला समाख्या कार्यक्रम: यह कार्यक्रम एक ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार करता है जहाँ महिला सामूहिक रूप से सूचना एवं ज्ञान की माँग कर सके तथा परिवर्तन के लिए आगे बढ़ें एवं अपने जीवन का निर्णय स्वयं करें।

स्वशक्ति परियोजना: इस परियोजना को ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, आत्मबल, आय को बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों के माध्यम से बेहतर जीवन स्तर के लिए संसाधन प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देना है।

महिला आरक्षण विधेयक: संसद में अनेक बार प्रस्तुत होने तथा विरोध प्रदर्शन के बावजूद लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण की मांग की गई है। पिछले कई सालों से इस विधेयक पर चर्चा तो पर्याप्त होती रही है, लेकिन संसद में प्रस्तुत करना बार-बार टलता भी रहा है। चुनाव आयोग की दलील है कि आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन की बजाय यदि इसे जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के अंतर्गत लाने का मन बनाया जाए, तो सफलता मिल सकती है। यह विधेयक राज्यसभा में पास किया जा चुका है।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता: यह योजना गरीब महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन, हथकरघा, दस्तकारिता, खादी एवं ग्रामीण उद्योगों, रेशम उत्पादन, सामाजिक वानिकी तथा भूमि विकास जैसे दस पारंपरिक क्षेत्रों और खाद्य प्रसंस्करण एवं सेवाओं के दोनों क्षेत्रों का अद्यतन प्रतिभा उपलब्ध कराती है, ताकि उनकी उत्पादकता और आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को वित्तपोषण की उच्चतम ₹16,000 होगी।

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना: आर्थिक मामलों पर मन्त्रीमण्डलीय समिति ने 'प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र' नामक नई स्कीम को स्वीकृति प्रदान की। यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगी। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र नई स्कीम की परिकल्पना विभिन्न स्तर पर कार्य करने के लिए तैयार की गई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर (क्षेत्र आधारित ज्ञान सहायता) और राज्य स्तर (महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र) संरचनाएँ महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर संबंधित सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 45 वर्ष से 79 वर्ष की विधवाओं को ₹ 600 प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाती है।

उज्ज्वला योजना: उज्ज्वला योजना को नई दिल्ली सरकार ने 4 दिसंबर 2007 को तस्करी की रोकथाम और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण और प्रत्यावर्तन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमीकरण: 1 अप्रैल 2015 डब्ल्यूसीडी मंत्रालय निर्भया फंड से दो योजनाओं का संचालन कर रहा है, अर्थात वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमीकरण। वन स्टॉप सेंटर जिसे सखी सेंटर के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य हिंसा (घरेलू हिंसा सहित) से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श देना जैसी एकीकृत सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है।

महिला शक्ति केंद्र (एमएसके): सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में महिला शक्ति केंद्र योजना को नवंबर 2017 में मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रिय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है।

हाल ही में, मंत्रालय ने 'मिशन शक्ति' (एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम) शुरू किया है- एक मिशन मोड में एक छाता योजना जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। यह महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को जीवन चक्र सातत्य के आधार पर संबोधित करके उन्हें मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण, अधिक भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के समान भागीदार बनाकर 'महिला नेतृत्व वाले विकास' के लिए सरकार के दृष्टिकोण को साकार करना चाहता है, और सेवा वितरण की अंतिम मील ट्रैकिंग के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा, पंचायतों और अन्य स्थानीय शासन निकायों और जनसहभागिता समर्थन। (प्रेस सूचना ब्यूरो)

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध साहित्य एवं द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर इस अध्ययन में यह दृष्टिपात होता है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भूतकाल की अपेक्षा वर्तमान काल में अधिक हुआ है। समकालीन समय में सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन एवं स्वयं महिलाएँ भी आर्थिक विकास को लेकर अत्यंत जागरूक हो रहीं है। सरकार ने विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए है, जिनका लाभ उठाकर महिलाओं ने अपनी आर्थिक

समृद्धि मजबूत की है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में कदम रख रहीं हैं, कोई भी ऐसा कठिन क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं पीछे हों। महिलाएं आज अपने कौशल, आत्मविश्वास और शिष्टता के आधार पर दुनिया की किसी भी चुनौती को संभालने में सक्षम हैं। वर्तमान परिदृश्य में समाज में देश की करोड़ो महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से विकसित कर रहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं।

यदि अध्ययन पर तुलनात्मक रूप से दृष्टि डाली जाए तो यह ज्ञात होता है कि भारतीय समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण उनके आर्थिक विकास से उच्च मात्रा में हुआ है, परन्तु इसके उपरांत भी कुछ कमियां हैं। जिन्हें सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयास से दूर किया जा सकता है। अतः भविष्य में आर्थिक विकास की ओर प्रयास करते हुए हमें महिलाओं को और आगे बढ़ाना है ताकि वर्तमान कमियों को सुधारा जा सकें एवं अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण वृद्धि की जा सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- प्रसाद, चेतलाल एवं रानी, श्वेता) 2023 ("मध्यम वर्गीय महिला शिक्षा के विकास हेतु उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन: पटना जिले के संदर्भ में "Vol.8 आईजेएसडीआर
- दीप, आकाश) 2024 ("आत्मनिर्भर भारतीय समाज में महिलाओं का योगदान "Vol.11 no.3 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड एप्लाइड रिसर्च.
- खान, ए आर) 2024 ("दैनिक जागरण "न्यूज पेपर
- अरिहंत) 2019(, अरिहंत पब्लिकेशन इण्डिया लिमिटेड
- महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का उच्च स्तरीय पैनल, (2018) "किसी को भी पीछे न छोड़े: लैंगिक समानता और महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यवाई का आह्वान "डिजिटल लाईब्रेरी पब्लिकेशन
- अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष) 2018 ("महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना"
- मूडीज एनालिटिक्स, (2023) "उत्पादकता लाभ को अनलाक करने के लिए लिंग अंतर को बन्द करें"
- संयुक्त राष्ट्र महिला, (2015-16) "विश्व की महिलाओं की प्रगति"
- प्रेस सूचना ब्यूरों, (2022) भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पीआईबी) दिल्ली(